

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पत्रांक-1/स्था०(का०आ०)-06/2024...../वि०, पटना, दिनांक-.....

:: आदेश ::

श्री अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के प्रभार से मुक्त करते हुए मो० जमील, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अपने पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त वित्त विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य आवंटित किया जाता है।

2. मो० जमील, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(का०आ०)-06/2024...../वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(का०आ०)-06/2024...../वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- मो० जमील, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना/श्री अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(का०आ०)-06/2024 - 9857/वि०, पटना, दिनांक-22.10.2026

प्रतिलिपि- माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के निजी सहायक/सचिव (व्यय) के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

R.Mandal
22-10-2026

सरकार के अवर सचिव।